

32/2020

करिया अन्वय करदु

हुकम या कार्यवाही मया इमिगियल जज

212 RTA

मया प्रमाणित
अदालत को प्रमाणित
हुकम की तस्वीर
के साथ

पत्रावली पेश हुयी उभयपक्ष
पीठासीन अधिकारी अन्य कार्य से
अवकाश में है। पत्रावली साबिक आदेश
दिनांक 31/12/25 को पेश हो।

आदेश करीब

पत्रावली पेश हुई। अजरा स्थानीय जार एडमिनिस्ट्रेशन
वस कार्य स्थान किया हुआ है। पत्रावली साबिक
आदेश दिनांक 19/1/26 को पेश हो।

आज्ञा से लिख

पत्रावली पेश हुई। अजरा अदालत 3 पं. 9/1/26 को
सं. 5 की तलमी हेतु दिनांक 4/2/26 को पेश हो।

19/1/26

पत्रावली पेश हुई। अजरा अदालत 3 पं. अजरा
सं. 5 की तलमी हेतु पत्रावली दिनांक 12/2/26
को पेश हो।

12/2/26

पत्रावली पेश हुई। अजरा अदालत 3 पं. अजरा सं. 5
के सम्मत बाद तमील छाटना पत्रावली वास्तु अंतिम
जस्त हेतु दिनांक 5/3/26 की पेश हो।

12/2/26

पत्रावली पेश हुई। अजरा अदालत 3 पं. अजरा अति-
अनुपस्थिति अजरा सं. 1 व 2 की ओर से मूल बाद में
दिनांक 15/1/2021 को अधिकार पत्र पेश किया गया लेकिन
अधिकार पत्र पेश होने के उपरान्त पांच वर्ष तक जवान
पेश करते का प्रयत्न अवसर दिये जाने के बावजूद पत्रावली
पेश नहीं। अतः अजरा सं. 1 व 2 का जवान नंद किया
जाता है। अजरा सं. 3 के सम्मत बाद तमील छाट लेने के
लिए अजरा सं. 3 की नियमानुसार तीन बार आवामें लगाई
गई, परन्तु कोई उपस्थित नहीं आया अजरा सं. 3 के बाद
सूचना उपस्थित नहीं यानि से अजरा सं. 3 के बिना

— लगातार —
सहायक कलेक्टर
भीलवाड़ा

दिनांक 21 2 R T A

5/3/26

एकतरफा कार्रवाही समल में जारी जारी है। जहाँ अधिकतर अधिकार की एकपक्षीय करण सुनी गरी। जहाँ अधिकतर द्वारा द्वारा तारा विवेकन किया कि अजाकी सं. 1 लमा. 3 जमा वादगत धूमि में विभावन का वाद प्रस्तुत करने के उपमान मॉके पर निर्माण कार्य उत्तर कर दिया गया था जिससे जारी के वादप्र प्रस्तुतीकरण का उद्देश्य ही निरफल ही जमा। जहाँ द्वारा प्रस्तुत जर्नल पत्र में आजीव न्यायालय द्वारा दिनांक 5/2/2021 की जारी एकपक्षीय अंतरिम आस्माई निप्रेषणा को मूलवाद के विन्यास तक स्मारी करने का आदेश दिया जावे ताकि संयुक्त जातेमारी की धूमि के विवेकन विभावन किना वा समी अतः जारी के पत्र में जारी एकपक्षीय समगत आदेश की मूलवाद के विन्यास तक स्मारी करने का पारित पारित फामादा धावे।

उक्त में जारी अधिकतर की एकपक्षीय करण का मतलब खे जितन किना गया, प्रवावली का अधिकतर किया गया तथा सम्बन्धित बिपी का अनुकीतन किया गया अजाकीगारा मरा मॉके पर निर्माण कार्य कराया जा रहा है जिससे व्याकितरीका जारी द्वारा अस्माई निप्रेषणा बाजर्नल एवं विभावन का वाद प्रस्तुत किना है। जारी द्वारा प्रस्तुत वाद में विभावन का अनुकीतन जारी गया है तथा धूमि धूमि में प्रिल स्वीछति निर्माण अबंध है एवं विशेषीकृत भू-भाग या अजाकीगारा के निर्माण का लेने पर जारीगारा के प्रकीन पत्र का उद्देश्य ही निरफल ही पलेगा। अतः जारी अथवा प्रकीनपत्र की स्मारी करने में उलमदूरया सफल रहा है। अतएव

आदेश

जहाँ का जारीना पत्र अ-तर्गत धारा 219 वाचमान काश्तकारी अधिकारिण स्वीछा किया जाता है और जारी के पत्र में जारी एकपक्षीय अंतरिम आस्माई निप्रेषणा दिनांक 5/2/2021 की मूलवाद के विन्यास तक स्मारी किना जात है। निर्माण करे इत्लास पुनर्जा गया। प्रवावली फॉरल शुमार हीका जारीत फालत ही और तकरा से कम ही।

5/3/26

सं. कलक्टर भालवा